

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाणा गिजा बालोतरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम पातो कावा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 186 में मेरा/हमारे नाम शिवर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपुत ज्य. नारनाडी

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम शिवर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपुत ज्य. दे हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

शिवर सिंह
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

पृथी के अलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी का निवासी स्थान
ज्य. नारनाडी के स्थान पर जा. दे करने की अनुमति
की जाती है।

शिवर सिंह
LLR मुहर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

तहसीलदार समदडी

GUMI-2025/587

आदेश

क्रमांक /2025/ ~~186~~ 1678

दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पातो कावा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 186 में शिवर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपुत ज्य. नारनाडी के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

शिवर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपुत ज्य. दे करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
अमल दरमाद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाणा (बालोतरा)